


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 19(01)शिक्षा-2/2016, जयपुर, दिनांक: 16.10.2019 की अनुपालना में डॉ. ज्योति जोशी, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर में प्रूफ रीडर के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि में राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत 5 वें वर्ष के लिए अभिवृद्धि (बिना प्रतिनियुक्ति भत्ते) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/ प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2019/98

दिनांक 16-10-19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. शासन सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) ।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)